CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 29 □ अंक- 301 □ रायपुर, गुरुवार 26 नवम्बर 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

मुंबई में बम की धमकी से हड़कंपः मेयर और बीएमसी कमिश्नर को मिला ईमेल तीन जगहों को निशाना बनाने का दावा

नई दिल्ली, 26 नवम्बर (न्यूज चैनल)। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बम धमाके की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े और बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े को एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। इसमें मेयर के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, ईमेल में मुंबई की दो अन्य जगहों पर भी बम लगाए जाने का दावा किया गया है। धमकी भरे ईमेल में सायन स्थित महालक्ष्मी जलसा बंगले और आचार्य मेट्रो स्टेशन पर बम रखे होने की बात कही गई है। ईमेल में इन जगहों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। इस सूचना के सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों में हलचल तेज हो गई है। मुंबई में धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने मुंबई की मेयर रितु तावड़े और नगर आयुक्त अश्विनी के कार्यालयों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा बीएमसी कार्यालयों और शहर के मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक, इस साल मुंबई मेयर कार्यालय को पांचवीं बार धमकी मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, धमकी भरा ईमेल हन्ना मायर के नाम से बनाई गई ईमेल आईडी (हन्नामायर5456 एट द रेट जीमेल डॉट कॉम) से भेजा गया है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

हाई फैट, शुगर और सॉल्ट पर अलग-अलग चेतावनी अनिवार्य

नई दिल्ली, 26 नवम्बर (न्यूज चैनल)। देश के तेजी से बढ़ते पैकेज्ड फूड और एफएमसीजी सेक्टर के लिए विनियामक मोर्चे पर एक बड़ा नीतिगत मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को खाद्य उत्पादों पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज न्यूट्रिशन लेबलिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा वाले प्रत्येक उत्पाद पर अलग-अलग सचित्र चेतावनी प्रतीक लगाना अनिवार्य होगा। 3एस एंड अवर हेल्थ सोसाइटी द्वारा दायर जनहित याचिका (सिविल रिट याचिका संख्या 437/2024) पर यह ऐतिहासिक निर्देश जारी किया गया है। फ्रंट-ऑफ-पैकेज पोषण



लेबलिंग एक ऐसी प्रणाली है। इसमें खाद्य उत्पादों के पैकेट के सामने ही पोषण संबंधी जानकारी दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित और आसान तरीके से यह बताना है। उत्पाद में वसा, चीनी और नमक की कितनी मात्रा है। यह लेबलिंग प्रणाली लोगों को सूचित निर्णय लेने में सहायता करती है। इससे वे अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प चुन सकते हैं।

पूर्व सांसद आनंद मोहन को झटका करना होगा आत्मसमर्पण, बिहार सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट से रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार का 2023 का वह फैसला रद्द कर दिया है, जिसके तहत आनंद मोहन को सजा में छूट देकर रिहा किया गया था। यह मामला 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या से जुड़ा है। कोर्ट ने आनंद मोहन को एक महीने के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि बिहार सरकार ने 2023 में सजा में छूट देने की नीति में बदलाव किया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए लोगों को भी सजा में छूट मांगने की अनुमति दे दी गई थी। कोर्ट ने इस बदलाव को असांविधानिक करार दिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार नए सिरे से सजा में छूट देने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इसके लिए मारे गए अधिकारी की पत्नी और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा।



आरोपी विकास अग्रवाल यूएई में अरेस्ट, 2023 से था फरार

रायपुर, 26 नवम्बर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में एसीबी/ईओडब्ल्यू को बड़ी कामयाबी मिली है। साल 2023 से फरार चल रहे मुख्य आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू (शिब्बू) को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे यूएई से भारत लाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, एक सप्ताह के भीतर उसे भारत लाया जा सकता है। इसके लिए एसीबी/ईओडब्ल्यू की विशेष टीम जल्द ही यूएई रवाना होगी।

विकास अग्रवाल को भारत लाने के लिए एसीबी/ईओडब्ल्यू चीफ समेत तीन डीएसपी की विशेष टीम गठित की गई है। टीम के विदेश दौरे और कार्रवाई से संबंधित जरूरी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि यूएई सरकार आरोपी को भारत डिपोर्ट कर रही है। औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे भारतीय एजेंसियों को सौंपा जाएगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक, विकास अग्रवाल पर शराब घोटाले के दौरान डिस्टिलरी और एफएल-10ए लाइसेंस धारकों से कमीशन वसूली से जुड़े आरोप हैं। उसे इस पूरे कथित सिंडिकेट में अहम कड़ी माना जा रहा है। आरोप है कि उसके माध्यम से अवैध तरीके से जुटाई गई रकम अनवर ढेबर तक पहुंचाई जाती थी।



विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी को शराब घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। भारत लाए जाने के बाद एसीबी/ईओडब्ल्यू उससे कथित अवैध वसूली, पैसों के लेन-देन और इस नेटवर्क से जुड़े लोगों के संबंध में पूछताछ कर सकती है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि आरोपी से पूछताछ में अवैध धन के लेन-देन और कथित घोटाले के अंतिम लाभार्थियों से जुड़े महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। अब सबकी नजरें विकास अग्रवाल की भारत वापसी और उससे होने वाली पूछताछ पर टिकी हैं।

पूर्व महाधिवक्ता-लेखक कनक तिवारी नहीं रहे

दुर्ग, 26 नवंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता, जाने-माने गांधीवादी चिंतक और लेखक कनक तिवारी (86वर्ष) का आज 26 नवंबर को निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बुधवार को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें दुर्ग के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा था, लेकिन गुरुवार को इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। कनक तिवारी का जन्म 1940 में हुआ था। वे गांधीवादी विचारधारा, भारतीय संविधान और सामाजिक विषयों पर अपनी समझ और लेखन के लिए जाने जाते थे। उनके निधन की खबर मिलते ही दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं, साहित्यकारों और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। स्व. कनक तिवारी की पुत्री वर्तमान में सिंगापुर में निवासरत हैं। परिजनों के अनुसार, उनके सिंगापुर से दुर्ग पहुंचने के पश्चात शुक्रवार, 27 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

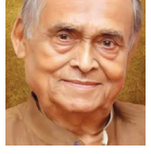

आप याद आएंगे काका जी: भूपेश बघेल

कनक तिवारी का निधन बेहद दुखद है। संविधान के एक विशेषज्ञ ने अपने विदा होने के लिए संविधान दिवस का पवित्र दिन चुना। वे एक काबिल वकील, अद्भुत ओजस्वी वक्ता और गंभीर चितक थे। एक स्तंभकार के रूप में भी वे आजीवन अख़बारों में लिखते रहे। वे अविभाजित मध्यप्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे और मप्र गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष भी रहे। गांधी विचारधारा में उनकी अटूट आस्था थी। मुझे याद आता है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें गांधी जी की 125वीं जयंती का संयोजक बनाया था और कनक जी ने पूरे प्रदेश में अविस्मरणीय आयोजन किए। मेरा उनसे परिचय कांग्रेस पार्टी में आने से पहले से ही पारिवारिक था। वे मेरे ससुर स्व. नरेंद्र देव वर्मा जी के सहपाठी और मित्र रहे। कनक उन चुनिंदा लोगों में रहे, जो मुझसे नाराज़ होकर सार्वजनिक रूप से मुझे अधिकारपूर्वक डांट सकते थे। आप याद आएंगे काका जी?।

संविधान दिवस पर पीएम ने अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों को किया नमन



नई दिल्ली, 26 नवम्बर (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने संविधान को भारतीय लोकतंत्र की अमूल्य विरासत बताया। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब डॉ. बीआर अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान एक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। पीएम मोदी ने इस अवसर को संविधान निर्माताओं का सम्मान करने का मौका बताया। साथ ही, इसमें निहित मूल्यों को मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो पोस्ट में संस्कृत के श्लोक भी साझा किए।

हाईकोर्ट में देवेंद्र यादव के खिलाफ प्रेम प्रकाश पांडेय की याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

बिलासपुर, 26 नवम्बर (हाईवे चैनल)। भिलाई विधानसभा सीट से चुने गए देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने प्रेम प्रकाश पांडेय और देवेन्द्र यादव दोनों के पक्ष को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

दरअसल, भिलाई के पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय ने वर्ष 2024 में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप है कि देवेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव 2023 के नामांकन के साथ जमा शपथपत्र (प्रपत्र-26) में संपर्क विवरण, इंटरनेट मीडिया खातों, स्वयं और पत्नी की आय, चल-अचल संपत्ति, परिवार के सदस्यों को दिए ऋण और लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई या गलत दर्ज की। याचिका में संपत्तियों का कम मूल्य बताने और वारंट तथा फरार घोषित किए जाने जानकारी देने का आरोप भी है। निर्वाचन की वैधता पर अंतिम निर्णय बाकी: हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2024 को पांच मुद्दे तय किए। इनमें नामांकन स्वीकृति की वैधता, शपथपत्र में जानकारी, कथित भ्रष्ट आचरण, कानूनी आवश्यकताओं का पालन और मांगी गई राहत शामिल हैं। मुद्दा क्रमांक 2 और 4 पर पहले सुनवाई की मांग भी 30 जून 2026 को खारिज हुई। अब निर्वाचन की वैधता पर अंतिम निर्णय बाकी है।

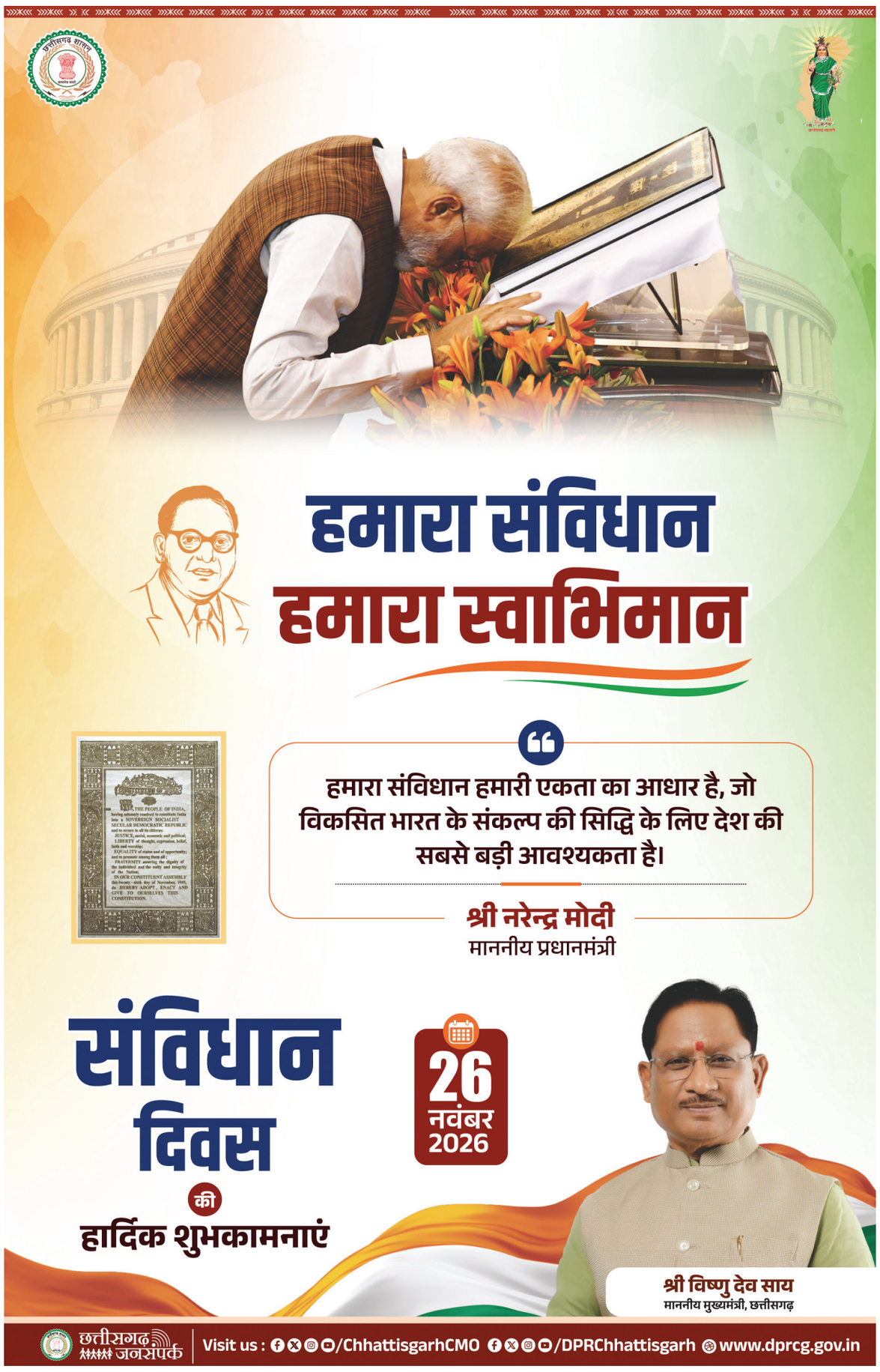

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के ट्रैप कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ माउस डियर, जैव विविधता के लिए बेहतर संकेत

छोटे आकार का बेहद शर्मीला वन्यजीव है माउस डियर, घने जंगलों में रहता है इसका बसेरा वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह



धमतरी, 26 नवम्बर (हाईवे चैनल)। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के जंगलों में एक दुर्लभ वन्यजीव माउस डियर (माउस हिरण) रिजर्व क्षेत्र में लगाए गए ट्रैप कैमरे में कैद हुआ है। इस छोटे और शर्मीले वन्यजीव की तस्वीर सामने आने से वन्यजीव प्रेमियों और प्रकृति संरक्षण से जुड़े लोगों में उत्साह है। जंगल में इसकी मौजूदगी जैव विविधता की दृष्टि से एक बेहतर संकेत मानी जा रही है। यह इस बात को भी रेखांकित करता है कि बड़े वन्यजीवों के साथ-साथ छोटे और कम दिखाई देने वाले जीवों का संरक्षण भी जंगल के पारिस्थितिक संतुलन के लिए बेहद जरूरी है।

बाघ, तेंदुआ, गौर, भालू उड़न, इंद्र धनुषी गिलहरी और कई प्रकार विशेष पक्षियों सहित अनेक वन्यजीवों का है प्राकृतिक रहवास: उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध वन संपदा, घने जंगलों और विविध वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहां बाघ, तेंदुआ, गौर, भालू उड़न गिलहरी इंद्र धनुषी गिलहरी और कई प्रकार विशेष पक्षियों सहित अनेक वन्यजीवों का प्राकृतिक रहवास है। ऐसे में माउस डियर जैसे दुर्लभ वन्यजीव का ट्रैप कैमरे में दर्ज होना क्षेत्र की वन्यजीव विविधता को और खास बनाता है।

क्या होता है माउस डियर?

माउस डियर को इंडियन स्पॉटेड चेवरोटेन भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मोस्किओला इंडिका है। यह भारत में पाया जाने वाला हिरन जैसा दिखने वाला बेहद छोटा खुरदार स्तनधारी जीव है। इसे भारत के सबसे छोटे हिरन जैसे वन्यजीवों में गिना जाता है। इसका शरीर भूरे और जैतूनी रंग का होता है, जिस पर सफेद धब्बे और धारियां दिखाई देती हैं। इसकी लंबाई

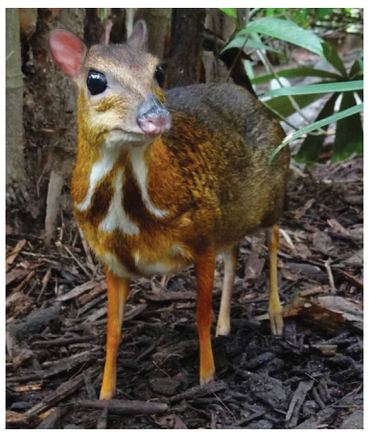

लगभग 45 से 55 सेंटीमीटर और वजन करीब 2.5 से 3 किलोग्राम तक हो सकता है।सामान्य हिरणों की तरह इसके सिर पर सींग नहीं होते। इसकी बड़ी आंखें, नुकीला थूथन और छोटे-पतले पैर इसकी खास पहचान हैं। यह घने जंगलों, झाड़ियों और पत्तों से ढके स्थानों में रहना पसंद करता है। गिरे हुए फल, पत्तियां, जड़ी-बूटियां और अन्य वनस्पतियां इसका प्रमुख भोजन हैं।

रात में अधिक सक्रिय, खतरा देखते ही झाड़ियों में छिप जाता है

माउस डियर बेहद शर्मीला और सतर्क वन्यजीव है। यह सामान्यत: दिन के समय घनी झाड़ियों और सुरक्षित स्थानों में छिपा रहता है तथा शाम और रात के समय भोजन की तलाश में बाहर निकलता है। खतरे का आभास होते ही तेजी से झाड़ियों में छिप जाता है। यही वजह है कि जंगल में इसे प्रत्यक्ष देख पाना काफी मुश्किल होता है और इसकी मौजूदगी दर्ज करने में ट्रैप कैमरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पहले भी कैमरा ट्रैप में दर्ज हो चुकी है मौजूदगी

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 के दौरान उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में किए गए कैमरा ट्रैप सर्वे में भी भारतीय माउस डियर की 13 तस्वीरें प्राप्त हुई थीं। इस अध्ययन में लंबे अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ में इसकी मौजूदगी का फोटोग्राफिक प्रमाण सामने आया था। ऐसे में रिजर्व के ट्रैप कैमरे में इसकी मौजूदगी दर्ज होना वन्यजीवों की निगरानी और संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है।माउस डियर जैसे छोटे वन्यजीव जंगल की खाद्य श्रृंखला और प्राकृतिक पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनके सुरक्षित प्राकृतिक आवास, घनी झाड़ियों, जलस्रोतों और वनस्पतियों का संरक्षण जरूरी है। साथ ही अवैध शिकार और मानवीय हस्तक्षेप पर नियंत्रण भी आवश्यक है।